FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड **बनाम** जोधपुर देशी ठाठ होटल आदि

किस्म मुकदमा:– प्रा.पत्र प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 मुकदमा नम्बर 102 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.5.25	पत्रादि **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** की ओर से वकील **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा प्रस्तुत किये गये। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। ऋणी/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 9.6.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला मजिस्ट्रेट सीकर	नोटिस:- 210-13 7/5/25
9.6.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्रीमती मंजू खेड़ा ने वकालतनामा पेश किया है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.06.25 को पेश हो। ABJ	
30.6.25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.07.25 को पेश हो। ABJ	
21.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने एक आवेदन बाबत् जवाब विपक्षी किये जाने पेश किया है। आवेदन स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर यह अ. पत्र अतिरिक्त विपक्षी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रबर लेकर दफ्तर हो। (मुकुल शर्मा) जिला मजिस्ट्रेट, सीकर	न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)